यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

करण संख्या : 25 / 2020
दायर दिनांक : 19 / 10 / 2020
निर्णय दिनांक : 06 / 02 / 2025

उनवान

1. मंगीलाल पिता छगनलाल मेघवाल निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. दुर्गाशंकर पिता छगनलाल मेघवाल निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. चंदाबाई पुत्री छगनलाल मेघवाल निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4. चुन्नीलाल पिता छगनलाल मेघवाल निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
5. जमनाबाई पुत्री छगनलाल मेघवाल निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
6. बोतलाल उर्फ बोतमल पिता छगनलाल मेघवाल निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. रामचंद्र पिता देवजी मेघवाल निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. श्रीमती राधाबाई पत्नी शंकरलाल खटीक निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. उपपंजीयक, भूपालसागर
4. भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री मांगीलाल बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गोपाल, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त उनवान का का वादपत्र वादीगण ने ठोस तथ्यों के आधार पर न्यायालय आप में पेश किया है जो अवश्य ही डिकी होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निर्णय में लंबा समय लगेगा। प्राथीगण एवं अप्राथीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त [illegible] जयात मौजा कांकरवा के हल्के बैरूनी स्थित है जिसके आ0न0 4586 रकबा 0.33 है0 [illegible] रकबा 0.17 है0 आस0 4593 रकबा 0.35 है0 आ0स0 4594 रकबा 0.24 है0 आ0स0 4595 [illegible] 0.19 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.28 है0 एव आस0 4591 रकबा 0.04 है0 आ0चा0 सबूत के लिए नकल जमाबंदी प्रार्थना के संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

यह कि वादगत आराजियात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है दोनो पक्षो के बीच मौके एवं रेकार्ड का कोई बंटवाडा नही कर रखा है लेकिन अप्रार्थी स0 1 के द्वारा वादगत आराजियात में से 1/12 हिस्सा अप्रार्थी स 2 के पक्ष में विकय कर दिनांक 28.09.2020 को विकय पत्र लिख अप्रार्थी स0 1 के द्वारा अप्रार्थी स0 2 के पक्ष में पंजीयन करवा दिया तथा विकय पत्र में विकेता के द्वारा की गई आराजियात के पडोसी पूर्व केसरसिंह की आराजी, पश्चिम मोहन खटीक की आराजी उत्तर पप्पूलाल मेघवाल एवं दक्षिण में अमरचंद खटीक की आराजी उपरोक्त चारो के मध्य में स्थित आराजियात का विकेता के द्वारा केता के पक्ष में विकय पत्र लिखकर के पंजीयन कराया गया तथा वादगत आराजी पैतृत जायदाद है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच वादगत आराजियात का विधिवत बटवाडा नही कर रखा है तथा प्रत्येक ईंच जमीन पर प्रत्येक खातेदार का संयुक्त कब्जा है इस प्रकार जब तक विधिवत बटवाडा नही हो जाता है तब तक किसी भी खातेदार को अपने हिस्से की आराजी को विकय करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। अप्रार्थी स0 1 के द्वारा अप्रार्थी 2 के पक्ष में जो विकय पत्र लिखा गया है उसमे विकय की गई आराजी के लिए चारो ही पडोसन का वर्णन करते हुए आराजियात का विकय किया गया जो एक पर्टिकुलर आराजी है जबकि पर्टीकुलर आराजी को विकय करने का किसी भी खातेदार को कोई अधिकार नही हैं। इसलिए अप्रार्थी स0 1 के द्वारा अप्रार्थी स0 के पक्ष में लिखा गया विकय पत्र नल एंड वॉयड है। शुन्य एवं प्रभावहीन है। तथा विधि विरूद्ध होने के कारण अप्रार्थी स0 1 द्वारा 2 के पक्ष में लिखा गया विकय पत्र तादादी 2,27000 दो लाख सताईस हजार रू0 दिनांक 28.09.2020 का शुन्य एवं प्रभावहीन किए जाने की घोषणात्मक डिकी कराने का वादपत्र पेश किया है।

वादपत्र संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजियात स्थित है जिसका प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण के बीच विधिवत बंटवारा नही कर रखा है मोके पर सभी खातेदारान का संयुक्त कब्जा है किसी भी खातेदार को जब तक संयुक्त खातेदारी एवं संयूक्त कब्जे काश्त की आराजियात को विकय करने का कोई अधिकार नही है फिर भी अप्रार्थी स0 1 व 2 ने मिलकर के योजना बनाकर प्राथीग्ण को अपनी कीमती जायदाद को वंचत करने में एक पार्टीकूलर आराजियात जो चारो ही पडोसन के बीच विकय पत्र में वर्णित किया है विकय की गई है जिसका अप्राथीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्राथीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाई जाकर के अप्राथीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि प्रार्थनापत्र की कालम स0 2 में वर्णित आराजियात पर अप्रार्थी स0 2 अनाधिकृत रू‌ से कब्जा नही करे प्रार्थीगण का कब्जा नही हटावे क्योकि अप्रार्थी स0 0 स्ट्रेन्जर परचेजर है तथा स्ट्रेन्जर परचेजर को वादगत आराजियात पर अनाधिकृत रू‌ से कब्जा करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। इसिलए जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी स0 2 वादगत आराजियात पर अनाधिकृत रू‌ से कब्जा नही करे तथा अप्रार्थी स0 3 वादगत आराजियात के [illegible] भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं अप्रार्थी 4 वादगत आराजियात [illegible] परिवर्तन नहीं करे, ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति, [illegible] एजेंट परिवारजन तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से नही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश [illegible]र्थीगण विरूद्ध अप्राथीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है क्योकि अप्रार्थी स0 1 के द्वारा अप्रार्थी स0 2 के पक्ष में जो विकय

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:39 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

नांक 28.09.2020 को लिखा गया जो विधि विरूद्ध है क्योकि संयुक्त खातेदारी की आराजियात सी पार्टीक्यूलर आराजियात को विकय पत्र करने का किसी भी खातेदार को वैधानिक अधिकार है तथा विकय पत्र में जो चारो ही पडोसन के बीच वर्णित आराजियात संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे ाश्त की आराजितयात है तथा प्रार्थीगण को कीमती जायदाद से वंचित रखने हेतु पर्टिक्यूलर आराजियात का वर्णन किया गया है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है क्योकि जब तक मोके पर विधिवत वादगत आराजीयत का बटवाडा नहीं हो जाता है तब तक वादगत आराजियात पर अप्रार्थी स0 2 को कयशुदा आराजियात पर कब्जे का कोई वैधानिक अधिकार नही है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्राथीगण जारी नही फरमाया गया और अप्रार्थी स0 2 के द्वारा अपनी दादागिरी एवं ताकत के बल पर मौके पर जाकर कबजा करने की कोशिश की गई तो वादीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच झगडा होने की प्रबल संभावना है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है जारी नही फरमाया गया तो प्राथीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टि पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण है। प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 01.10.2020 को विकय पत्र की नकल लेने से जानकारी हुई इसलिए प्रार्थनापत्र हेतुक दिनांक 01.10.2020 को जारी होकर के निरंतर जारी है। जायदाद एवं पक्षकारान न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार का होने से प्रार्थनापत्र न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार है, प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र पूर्ण न्यायशुल्क पर अंदर अवधि पेश है, पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय जारी फरमाया जावे की अप्रार्थी 2 वाद वर्णित आराजियात पर अनाधिकृत रू‹ से प्रवेश कर कब्जा नहीं करे, प्रार्थीगण का कब्जा नही हटावे आराजियात पर खडे हरे पेड, दरखत नही काटे और अप्रार्थी स0 3 वादगत आराजियात से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज बह बक्षीस विकय रहननामा आदि का पंजीयन नही करे एवं अप्रार्थी स0 4 वादगत आराजियात के राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही किसी एजेट, कर्मचारी नौकर परिवारजन आदि से भी न करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री गोपाल दाधीच ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को बहस सुनी जाने का निवदेन करने पर बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर प्रार्थनापत्र वर्णित आराजियात पर राजसव रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बाबत स्थगन आगामी पेशी दिनांक तक के जारी किया गया। दिनांक 29.01.2025 को वकील उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है, मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
... कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested